न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)
दावा संख्या 219/2017

उनवान

जगदीशपुरी बनाम श्योदयालपुरी

अधिवक्ता वादी :–श्री शंकर लाल चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण :– श्री विवेक चौधरी

निर्णय दिनांक : 7.3.2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सी0पी0सी0 व 151 सी0पी0सी0

निर्णय

अधिवक्ता प्रतिवादी ने वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सीपीसी व 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि वादी जिस आराजी को लेकर वाद पेश किया है जिसमें वादी का कोई स्वत्व नही है क्योकि उक्त आराजी को लेकर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है वादी की नही होकर शामिल खाते की आराजी है जो पूर्व में वादी ने उक्त भूमि को लेकर बटवारे का वाद प्रस्तुत कर अन्तिम डिक्री पारित करवाली गई थी और उसका अमल के आधर पर राजस्व रेकार्ड में वादी वाद पेश किया है किन्तु पूर्व वाद में मूल निर्णय व डिक्री को ही उच्च न्यायालय ने निरस्त करने के कारण स्वंत ही वादी का नि प्रवावी हो चुका है। और वादी जिसको लेकर वाद पेश किया है।उसमें किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। पूर्व वाद वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। तथा पक्षकारो के मध्य बटवारा होना शैष है। इस कारण पूर्व वाद के जैरकार होने से वादी नया वाद प्रस्तुत नही कर सकता है। वह विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने सोग्य है। इस कारण दावा चलने योग्य नही है। अतः वादी का वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सीपीसी व 151 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया जावे ।

अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी खारिज किये जाने योग्य है । क्योंकि वादी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार है ,तथा प्रतिवादी जबरन मौके पर दादागिरी के बल से मौके पर झगडा करने पर अमादा है। तथा अधिवक्ता प्रतिवादी ने अवैधानिक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो निराधार व चलने योग्य नही है। प्रकरण न्यायालय में जैरकार है। जिसमें पुनः तकासमा होना शैष है। पूर्व में बटवारा हो चुका है। प्रार्थना पत्र सारहीन है अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावे ।

हमने वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौहराने बहस में प्रार्थना पत्र सारहीन होने व प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 व 151 सीपीसी मेन्टेबल नही होने से खारिज फरमाया जाने का निवेदन कियां ।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 सी0पी0सी0 एवं अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। एवं वाद तथा प्रस्तुत अधिवक्ता द्वारा पेश की गई कानून नजीरे व दस्तावेज के अवलोंकन पर वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत ख0न0 न0 पर अनुतोष की मांग कर रहा है वह ख0न0 उसकी खातेदारी अधिकार की भूमि नही है। क्योकि वर्तमान में उक्त भूमि पक्षकारो की संयुक्त खातेदारी की भूमि है ,जिसको लेकर बटवारा का वाद संख्या 94/17 न्यायालय में जैरकार है। जिसमें पुनः बटवारा के आदेश

जारी किया जा चुका है । इस कारण उक्त वाद के अन्तिम डिक्री तक नवीन वाद का कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अतः वाद पत्र वाद हेतुक प्रकट नही करता है। तथा वाद विधि विरूद्व पेश करने से प्रार्थना पत्र आदेश 07 रूल्स 11 व 151 सीपीसी पर स्वीकार योग्य है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 रूल्स 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले में न्यायालय आज दिनांक 7.3.2018 को सुनाया गया

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी पीपलू